झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ संकल्प ॥

विषयः- साहेबगंज एवं राजमहल नगर निकायों अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर समूह में कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि रू. 18557.35 लाख (एक सौ पचासी करोड़ सत्तावन लाख पैंतीस हजार) एवं स्वच्छ भारत मिशन के केंद्र मद से रू. 823.27 लाख (आठ करोड़ तेईस लाख सत्ताईस हजार) तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि रू. 8183.40 लाख (इक्यासी करोड़ तिरासी लाख चालीस हजार) अर्थात कुल रू 9006.67 लाख (नब्बे करोड़ छः लाख सरसठ हजार) का अनुदान उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति।

3259
21/06/18

---

74 वें संविधान संशोधन की 12 वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक/ बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है।

2. भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है। इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये 2 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है।
3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी SWM Rule, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है।
4. TSP प्रक्षेत्र, साहेबगंज एवं राजमहल नगर निकायोंका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना समूह में किया जाना है। जिसके लिये साहेबगंज नगर परिषद् के पास भूमि उपलब्ध है।भूमि उपलब्ध होने के उपरांत इस समूह का DPR तैयार कराया गया है, जिसमें Door to Door Collection, Transportation, Segregation, Waste Processing तथा Scientific Sanitary Landfilling (SLF) तथा Capping का कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना को दो चरणों में पूरा किया जायेगा। प्रथम चरण की निविदा EPC Mode परएवं दुसरे चरण की निविदा को लोक – निजी भागीदारी (PPP Mode) पर कार्यान्वयनहेतु तैयार किया गया है। योजना का 20 वर्षों में अनुमानित लागत राशि के साथ CAPEX, OPEX एवं अन्य मद पर आने वाले कुल व्यय का विस्तृत विवरण तालिका – 1 में दर्ज है।
5. उपरोक्त DPR पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।
6. निकायों के पास 9.92 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जो योजना हेतु पर्याप्त है।
7. Capex मद में PPP पार्टनर द्वारा न्यूनतम 30% राशि अर्थात रू **567.65 लाख** का व्यय किया जायेगा।
8. केन्द्रांश से कुल राशि रू **823.27 लाख** SBM योजना के तहत Mission Period, 2 अक्टूबर, 2019 तक @ 35% CAPEX, @ 20% OPEX एवं @ रू 12 प्रति व्यक्ति के अनुसार DPR बनाने हेतु दिया जाना है।
9. इस योजना को DBOT (Design, Built, Operate & Transfer) Mode पर किया जायेगा।
10. SBM के राज्य योजना मद से कुल राशि रू **8183.40** लाख दिया जायेगा।
11. योजना का वित्त पोषण स्वच्छ भारत मिशन मद से किया जायेगा।

तालिका – 1

Sahebganj & Rajmahal Cluster Solid Waste Management – Fund Requirement		
S. No.	**Particular**	**Amount in ₹ Lakh**
1	**Total Project Cost (1.1+1.2+1.3)**	**18557.35**
1.1	Capital Cost (CAPEX)	**1892.17**
1.1.1	Capital Cost (CAPEX) in Sahebganj	**1702.72**
1.1.2	Capital Cost (CAPEX) in Rajmahal	**189.45**
1.2	O & M Cost for 20 Years	**16419.20**
1.3	**Other Expenses (1.3.1+1.3.2+1.3.3)**	**245.98**
1.3.1	DPR Preparation Cost @ 1.5%	28.38
1.3.2	Training & Capacity Building of ULB @ 1.5%	28.38
1.3.3	Monitoring & Supervision Charges @ 10%	189.22
2	**Total Income (2.1+2.2+2.3+2.4)**	**8983.03**
2.1	By User Charges in O&M	5967.12
2.2	By Sale of Compost in O&M	1975.21
2.3	By Sale of Recyclable in O&M	976.16
2.4	By Sale of Scrap in O&M	64.54
3	**Central Share (3.1+3.2+3.3)**	**823.27**
3.1	Central Share for DPR preparation @ ₹ 12 per	6.62
3.2	Central Share in CAPEX @ 35% of it	662.26
3.3	Central Share in O&M @ 20% up to mission	154.39
4	**Investment of PPP Operator**	**567.65**
	Investment by Private Partner in CAPEX @ 30%	567.65
5	**Total Grant Required from State (5.1+5.2+5.3)**	**8183.40**
5.1	In CAPEX	662.26
5.2	In O&M in 20 years	7281.78
5.3	In Other	239.36

तालिका – 2

Fund Flow		
S. No.	**Particular**	**Amount in ₹ Lakh**
1.0	Total Project Cost	18557.35
2.0	Income from Project	8983.03
3.0	Fund from PP Partner	567.65
4.0	Central Government Share	823.27
5.0	Total State Government Share (1.0-2.0-3.0-4.0)	**8183.40**

12. योजना की निविदा प्रक्रिया दो अलग – अलग चरणों में पूर्ण की जाएगी :

क. प्रथम निविदा के तहत Collection, Storage and Transportation हेतु संयंत्र एवं वाहनों का क्रय Item Rate Basis पर किया जायेगा, जिस पर कुल व्यय रू **233.75 लाख** होगी।

ख. दूसरी निविदा के तहत PPP Mode पर आमंत्रित किया जाना है जिसके तहत Processing Plant तथा Landfill Site का निर्माण, मशीनों की commissioning एवं सम्पूर्ण योजना को 20 वर्षों तक चलाने का कार्य सम्मिलित होगा। निविदा में Capital Cost, item rate basis पर तथा O&M cost, Tipping Fee (प्रति टन अपशिष्ट संग्रहण) के आधार पर आमंत्रित किया जायेगा।

13. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में साहेबगंज एवं राजमहल नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना कीकुल लागत राशि **रू.18557.35 लाख** (एक सौ पचासी करोड़ सत्तावन लाख पैंतीस हजार)एवं SBM के केंद्र मद से **रू. 823.27 लाख** (आठ करोड़ तेईस लाख सत्ताईस हजार) तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि **रू. 8183.40 लाख** (इक्यासी करोड़ तिरासी लाख चालीस हजार) अर्थात कुल **रू.9006.67 लाख** (नब्बे करोड़ छः लाख सरसठ हजार) का अनुदान देने एवं कार्य करने की स्वीकृति दी जाती है।

14. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की बैठक दिनांक 12.06.2018 को मद संख्या – 05 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- SPMG/UD&HD/MoHUA/01/2018......3259...... राँची, दिनांक: 21/06/18

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि मुद्रित संकल्प की एक सौ प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराई जाये।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- SPMG/UD&HD/MoHUA/01/2018......3259...... राँची, दिनांक: 21/06/18

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री / सचिव के आप्त सचिव / निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण / निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय / PD (Technical), JUIDCO/ संबंधित आयुक्त/उपायुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगंज एवं राजमहल नगर निकाय / बजट शाखा / नोडल पदाधिकारी e – गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।